राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(3)राज-6/2000/20 जयपुर, दिनांक:- 30-4-2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या-15) की धारा 90-क के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (xl-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. __संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-__ (1) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) (संशोधन) नियम, 2001 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. __नियम-2 का संशोधन.-__ राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम, 1992, जिन्हें इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है, के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ड.) में, विद्यमान शब्द " से " के पश्चात् और अभिव्यक्ति " किसी भी उद्योग " के पूर्व अभिव्यक्ति " सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सम्मिलित करते हुए " अन्तःस्थापित की जायेगी ।

3. __नियम 8 का संशोधन.-__ (उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (1) में, खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

" परन्तु यह भी कि संपरिवर्तन के लिए किसी आवेदन की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली विनिधान संबंधी सशक्त समिति की अनुज्ञा से किसी सम्पूर्ण भू-खण्ड और उस पर संनिर्मित भवन का उपयोग अन्य रूप

क्रमशः....2 पर

से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाना हो । तथापि, प्रीमियम इन नियमों के अधीन संदेय होगा । सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली विनिधान संबंधी सशक्त समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की सूची, राजस्व विभाग को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा। ऐसा संदाय होने पर और राजस्व विभाग द्वारा सत्यापन करने पर भूमि राजस्व अभिलेख में इस प्रकार प्रविष्ट की जायेगी।" ।

राज्यपाल के आदेश से,

(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व मंत्री / राजस्व सचिव ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
5. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी (कम्प्यूटर्स) विभाग को ।
6. निदेशक, आर0आर0टी0आई0 , अजमेर ।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर ।
8. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान, जयपुर को राजपत्र विशेषांक के असाधारण अंक दिनांक ———————— में प्रकाशनार्थ ।
9. "राविरा" राजस्व मण्डल , अजमेर ।
10. शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग ।
11. विधिसंहिताकरण विभाग ।
12. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर ।
13. संयुक्त रजिस्ट्रार जजेज लाइब्रेरी, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ।
14. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव

मनोज/234